122

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा

1011

C.F. Rs. 30/-

श्रीमती सुशीला पत्नी श्री लक्ष्मीकांत कुशवाहा आयु 52 वर्ष पेशा खेती व घरेलू कार्य निवासी ग्राम ममदर तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी ------------------------ निगरानीकर्ता

R 5169-II/17

बनाम

1 - रामानुज पिता कालू कुशवाहा आयु 56 वर्ष पेशा खेती व ब्यापार नि0 ग्राम ममदर तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी ------------------------------------ उत्तरवादी

2- शासन म0 प्र0 द्वारा कलेक्टर सीधी ........................................... औपचारिक उत्तरवादी

अधिवक्ता श्री विकास मिश्रा द्वारा प्रस्तुत 22.4.17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश श्रीमान अपर कमिश्नर रीवा दिनांक 22-03-2017 प्रकरण क्रमांक 843/अपील/2014-15 बाबत ग्राम ममदर तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी की भूमि नं0 1167 व 1217 के नवीन बन्दोबस्त के की गई त्रुटि मे सुधार तथा उक्त अनुसार राजस्व अभिलेखों की प्रविष्ट व नक्शा मे सुधार व उसी अनुसार तरमीम

---------------------------------------

मान्यवर,

निम्नांकित निगरानी प्रस्तुत है।

मामले मे तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि निगरानी कर्ता श्रीमती सुशीला देवी ने तत्कालीन भूमिस्वामियों से ग्राम ममदर तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी की भूमि पुराना खसरा नं0 1105/1 रकबा 0.142 हे0 1106/1 रकबा 0.040 हे0 1109 रकबा 0.081 हे0 1112 रकबा 0.502 हे0 1113 रकबा 0.150 हे0 1114 रकबा 0.085 हे0 1115 रकबा 0.226 हे0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.226 हे0 पंजीकृत बिक्रय लेख से दिनांक 21-05-1993 को विधिवत क्रय किया। बिक्रय के समय सीधी जिले मे बन्दोबस्त की कार्यवाही प्रगति पर होने से विधि के अनुसार क्रय की गई भूमियों का नामांतरण सहायक बन्दोबस्त दल कमांक 2 द्वारा उक्त केता निगरानी कर्ता के हित मे विधिवत पूरी सुनवाई के पश्चात आदेश दिनांक 05-10-1994 से कर दिया गया। उक्त नामांतरण के विरूद्ध उत्तरवादी या किसी ने कोई आपत्ति नही किया। एक चन्द्रमौलि प्रसाद ने आपत्ति किया था जिनकी आपत्ति निरस्त कर दी गई। नवीन बन्दोबस्त के दौरान क्रय की गई तथा राजस्व न्यायालय से नामांतरित भूमियों को नये खसरा नम्बरों मे परिवर्तित कर दिया गया लेकिन त्रुटिवश निगरानी कर्ता के भूमिस्वामित्व तथा आधिपत्य की भूमियों के जो नये खसरा नं0 1168 रकबा 0.66 हे0 तथा 1270 रकबा 0.50 हे0 तैयार किये गये उसका कुल क्षेत्रफल 1.16 हे0 दर्शाया जाकर 0.06 हे0 क्षेत्रफल कम कर दिया गया और निगरानी कर्ता के भूमिस्वामित्व तथा आधिपत्य की शेष 0.06 हे0 भूमि का नया खसरा नं0 1267 तैयार कर उसका रकबा 0.06 हे0

# राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 5169-दो।2017 निगरानी ~~जिला सीधी~~

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 24-10-17 | आवेदक के अधिवक्ता श्री विकास मिश्रा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 843/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 22.3.17 के विरूद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अर्न्तगत प्रस्तुत की गई है।<br>2- आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये। तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश में विस्तार से चर्चा कर आदेश पारित किया गया है जहां उसे दौहराने की आवश्यकता नहीं है। अनावेदक की ओर से प्रकरण में विकय पत्र कमांक 73 दिनांक 1.10.88 अनुसार आराजी नंम्बर11.5 रकवा 0.182 आरे का अंशभाग 0.10 व खसरा नम्बर 1106 रकवा 0.61 आरे का अंश भाग 0.5 डिस0 गुठुरइया तनय गोकुल चमार से कय करना पाया जाता है प्रकरण में संलग्न खसरा नकल वर्ष 88-89 से 1992-93 में आराजी कमांक 1105/2 रकवा 0.10 डिस एवं आराजी कमाक 1106/2 रकवा 0.05 उत्तरवादी के भूमिस्वामी स्वत्व में अंकित है। अधिकार अभिलेख पर्ची 1994 अनुसार अराजी कमांक 1105, 1106 से नया आराजी नम्बर 1267 रकवा 0.06 उत्तरवादी के भूमि स्वामी के स्वत्व में लिखित है। | |

इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी ने वादग्रस्त भूमियां गुठुरइया चमार से कय किया है जिसका बन्दोवस्त के दोरान पया आराजी कमांक 1267 रकवा 0.06 उत्तरवादी के नाम अभिलेख तैयार किया गया। प्रकरण में जहांतक आवेदक का यह कथन है कि उसके द्वारा आराजी कमांक 1267 रकवा 0.06 है0 की विकी वर्ष 1970 में आवेदक के ससुर के नाम अपंजीकृत टीप पर की गई एवंटीप दिनांक 8.1.2015 को स्टापित कराये जाने से उत्तरवादी पश्चातवती केता है, जिसे कानूनी अधिकार नहीं है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अपंजीकृत विकी टीप वर्ष 1970 दिनांक 8.1.15 को पंजीकृत हो जाने मात्र से उत्तरवादी का रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर उत्तरवादी वर्तमान समय में आराजी कमांक 1267 रकवा 0.06 है0 का भूमिस्वामी हैं राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 29.5.03 को स्थल पंचनामा तैयार कर स्पष्ट किया है कि आराजी कमांक 1267 पर रामानुज एवं आराजी कमांक 1268 एवं 1270 पर आवेदिका मौके से काबिज है इनत थ्यों से भी स्पष्ट है कि आराजी कमांक 1267 उत्तरवादी के कब्जे की भूमि हैं राजस्व निरीक्षक का द्वितीय प्रतिवेदन दिनांक 24.7.10 सलंग्न है जिसमें प्रतिवेदित किया है कि रामानुज नेआराजी कमांक 1267 रजिस्टर्ड विकय पत्र अपने नाम नामांतरण करा लिया है, किन्तु प्रतिवेदन के साथ तुलानात्मक प्रस्ताव संलग्न नहीं है इन्हीं तथ्यों के आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा विवेचना कर अपील निरस्त की गई है तथा अपर कलेक्टर का आदेश अपर आयुक्त रीवा द्वारा स्थिर रखा गया है जो विधि प्रावधानों से उचित एवं सही है।

3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा

के प्रकरण कमांक 843/अपीलं/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 22.3.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य